भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 432

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

अत्यिधक रोजगारपरक कुशल लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए योजनाएं

432. **श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:**
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अत्यधिक रोजगारपरक कौशल प्राप्त युवाओं की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में 21-30 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे युवाओं की पहचान करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है जिनके पास अत्यधिक रोजगारपरक कौशल हैं

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की युवा आबादी के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की अन्य योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत पूरे देश में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से जुड़े कौशल से लैस करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत शुरूआत से लेकर दिनांक 31.10.2025 तक प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। इसके अलावा, एनसीएस पोर्टल को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अग्रणी कौशल प्लेटफार्मों और पहलों के साथ एकीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 02.02.2026 के अतारांकित प्रश्न 432 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमकेवीवाई के आरंभ से दिनांक 31.10.2025 तक इसके तहत प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षत/उन्मुख
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,501
2	आंध्र प्रदेश	5,28,234
3	अरुणाचल प्रदेश	98,157
4	असम	8,39,672
5	बिहार	7,60,581
6	चंडीगढ़	28,035
7	छत्तीसगढ	2,04,543
8	दिल्ली	5,27,664
9	गोवा	10,484
10	गुजरात	4,71,884
11	हरियाणा	7,63,070
12	हिमाचल प्रदेश	1,76,654
13	जम्मू और कश्मीर	4,29,954
14	झारखंड	3,14,146
15	कर्नाटक	6,05,744
16	केरल	2,74,836
17	लद्दाख	4,076
18	लक्षद्वीप	390
19	मध्य प्रदेश	12,15,857
20	महाराष्ट्र	13,32,397
21	मणिपुर	1,15,021
22	मेघालय	58,856
23	मिजोरम	44,147
24	नागालैंड	54,055
25	ओडिशा	6,02,374
26	पुदुचेरी	35,597
27	पंजाब	5,63,591
28	राजस्थान	14,08,412
29	सिक्किम	19,479
30	तमिलनाडु	8,89,722
31	तेलंगाना	4,64,811
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,842
33	त्रिपुरा	1,60,367
34	उत्तर प्रदेश	25,09,373
35	उत्तराखंड	2,52,138
36	पश्चिम बंगाल	6,51,369
	योग	**1,64,33,033**

स्रोत: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय